फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःअठ्ठारह–आशु0(वरिष्ठता)–2023(स्थानापन्न) दिनांकःलखनऊःजून २९,2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(30)–2023 दिनॉक 22.08.2023 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में चयन वर्ष–2023 की रिक्ति के सापेक्ष 01 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक रिक्त रखे गये 01 पद के सापेक्ष काम चलाऊ प्रबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। इस कर्मी के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगीः–

क्र0 सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	080950022	पवन कुमार सोलंकी	श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी	15-11-1979	फिरोजाबाद	स्थानापन्न 2023

2– उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3– मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4– स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

Scanned with OKEN Scanner

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप (क)

(signature) 12/9/06

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन आगरा।
3— पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा ।
4— पुलिस अधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)——————————————————————पुत्र

——————————निवासी————————————थाना————————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है न ही कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक:———————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————————————थाना————————

जनपद——————————में लम्बित है, जिसमें दिनांक:——————————को स्थानीय पुलिस अथवा एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग मा० न्यायालय में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ

नियुक्ति स्थान–

दिनांक:–

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner